UPBJ010048892026

न्यायालय **VI-Addl. District Judge/Regular, Bijnor**

पीठासीन अधिकारी– (Km. Alka Chaudhary), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01788

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1701/2026

फरहत जमाल बनाम सरकार

आदेश

1. यह **प्रथम** अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता **फरहत जमाल** की ओर से मु0अ0सं0 **154/2025,** अन्तर्गत धारा **353(2) बी0एन0एस0,** थाना **धामपुर,** जिला **बिजनौर** में मय शपथ पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इस प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है ना ही खारिज किया गया है। उपरोक्त वाद में प्रार्थिनी को चुनावी रंजिश के कारण नाजायज दबाव बनाने के लिए सरासर झूंठा आरोपित किया गया है। प्रार्थिनी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थिनी निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक व समय का उल्लेखित नहीं किया गया है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थिनी ने कभी भी किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की मानहानि नहीं की और न ही प्रार्थिनी ने कभी नफरत फैलाने का प्रयास किया और न ही कभी शान्ति भंग की है। प्रार्थिनी एक मेरी कनवेन्ट स्कूल धामपुर में शिक्षका के पद पर कार्यरत है। प्रार्थिनी पूर्व में सजायाफता नहीं है न ही प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थिनी के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रार्थिनी किसी भी तरीके से वाद उपरोक्त के सबूतों व गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेगी। प्रार्थिनी न्यायालय की अनुमति के बगैर भारत नहीं छोड़ेगी। प्रार्थिनी किन्हीं भी अन्य शर्तों को मानने के लिए तैयार व इच्छुक है जैसाकि मामले के सम्बन्ध में न्यायालय के द्वारा लगायी जा सकती है। न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आदेश प्रार्थिनी के हक में नहीं किया गया तो अवश्य ही वादनी पक्ष अपने उद्देश्य में कामयाब हो जायेगा और प्रार्थिनी को अत्यधिक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा। प्रार्थिनी अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्ता को दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति है। उक्त आधार पर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, संलग्न प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर पहलगांव में हुए आतंकी हमले का मुख्य कारण भाजपा को बताकर देश व प्रदेश की भाजपा सरकार की मानहानि व बदनामी करने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा मामले में पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्ता धारा–41ए दं0प्र0सं0 के नोटिस पर पहले से बाहर है। अभियुक्ता द्वारा संज्ञेय व गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5. अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी/अभियुक्ता **फरहत जमाल** का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र **खारिज** किया जाता है।

04.06.2026

(अलका चौधरी)
(J.O. Code-UP1788)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(गैंगस्टर अधि0), कोर्ट नं0–6, बिजनौर।

Digitally signed by ALKA CHAUDHARY
Date: 2026.06.04 17:10:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court